कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर

पत्रांक : 2094/14–1 रामपुर, दिनांक :12, अप्रैल 2016

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ0प्र0,
मुरादाबाद।

विषय :– **रिलायन्स 4जी परियोजना हेतु जनपद मुरादाबाद, रामपुर एवं सम्भल में कुल 171 किमी. एवं 7.695है0 डार्क फाइबर (ओ.एफ.सी.) केबिल बिछाए जाने हेतु।**

जनपद रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 (दिल्ली से लखनऊ रोड) के किमी. 180 से किमी. 213 तक कुल लम्बाई 33 किमी. एवं प्रभावित वन भूमि 1.485 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति (सड़क के किनारे पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु अनापत्ति) दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ – **Online Submission File No. FP/UP/Others/17123/2015 dated 20-12-2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में रिलायन्स 4जी परियोजना हेतु जनपद रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 (दिल्ली से लखनऊ रोड) के किमी. 180 से किमी. 213 तक कुल लम्बाई 33 किमी. लम्बाई में ओ.एफ.सी. लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। ओ.एफ.सी. लाइन के निर्माण में 1.485 है0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन के अनुमति की आवश्यकता है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा – 2 के अन्तर्गत 1.485 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के भूमि हस्तांरण प्रस्ताव 05 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहें है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 प्रभाग रामपुर।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, रामपुर एवं मिलक।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 प्रभाग रामपुर।